



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(महात्मा गांधी नरेगा, अनुभाग-3)



क्रमांक एफ १(२) / ग्रावि / नरेगा / मा.द. / राजकाज-००५७० / २०१७  
जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,  
समस्त राजस्थान।

जयपुर दिनांक

15 NOV 2022

**विषय :-** महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत Good Governance में सम्मिलित बिन्दुओं की पालना एवं नियमित समीक्षा किये जाने व रोजगार दिवस के नियमित आयोजन के संबंध में।


**प्रसंग :-** विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक २९.०९.२०२२ के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत Good Governance से संबंधित बिन्दुओं की कड़ाई से पालना एवं समीक्षा किये जाने तथा रोजगार दिवस के नियमित आयोजन किये जाने के निर्देश पूर्व में प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रदान किये गये हैं। पूर्व में जारी निर्देशों के अतिरिक्त “रोजगार दिवस” में निम्न बिन्दुओं के संबंध में भी जानकारी दिया जाना व आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

- पारदर्शिता की दृष्टि से योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के संबंध में आमजन से फीडबैक प्राप्त किये अधिकाधिक संख्या में जनमनरेगा एप डाउनलोड किये जाने हेतु आमजन, जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों को प्रोत्साहित किया जावें।
- ई-श्रम पोर्टल एवं पीएम-एसवाईएम में अधिकाधिक श्रमिकों को पंजीकृत किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जावें।
- चिरजीवी योजना में अधिकाधिक श्रमिक परिवारों को पंजीकरण हेतु प्रेरित किया जावे।
- जनआधार बनवाने/अपडेशन हेतु प्रोत्साहित किया जावें।
- CMREGS से संबंधित जानकारी एवं प्रोत्साहित किया जावें।
- 41-99 दिवस पूर्ण कर चुके श्रमिक परिवारों को 100 दिवस पूर्ण करने हेतु प्रोत्साहित किया जावें ताकि अधिकाधिक संख्या में 100 दिवस पूर्ण कर चुके परिवारों को 25/100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार CMREGS के अन्तर्गत दिया जा सकें।


अतः उपरोक्त सभी बिन्दुओं की नियमित पालना व समीक्षा सुनिश्चित की जावे तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान रोजगार दिवस में उपरिथित होकर उक्त बिन्दुओं की पालना की जा रही है अथवा नहीं भी सुनिश्चित करावें।

**संलग्न :-** प्रासंगिक पत्र दिनांक २९.०९.२०२२

  
(शिवांगी स्वर्णकार)  
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
- अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
- प्रोग्रामर, ईजीएस को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

  
परि.निदे.एवं उप शासन सचिव, ईजीएस